पत्र सं0- एम-4-19/2007 - 2397 वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- **राज्यसरकार द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की आपूर्ति में राज्य के भीतर अवस्थित उद्योगों को प्राथमिकता देने के संबंध में ।**

सरकारी कार्यो के लिए सामग्रियों की आपूर्ति बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप ली जाती है जिसमें क्रय का मुख्य सिद्धांत है सरकारी राशि के लिए सबसे अच्छा मूल्य (Value for Money) पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का सामान क्रय किया जाये ।

2. बिहार वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय करने के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होने के कारण स्थानीय उद्योगों को सरकारी क्रयादेश प्राप्त नहीं हो पाते है जिसके कारण स्थानीय औद्योगिक इकाईयों को पनपने में कठिनाई होती है । निकटवर्ती राज्यों में सरकारी एजेन्सियों द्वारा क्रय किये जाने वाले कतिपय सामग्रियों को राज्य के भीतर अवस्थित औद्यिगिक इकाईयों से अनिवार्य रूप से लेने के नियम बनाये जाने के कारण इन राज्यो के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है एवं स्थानीय रोजगार भी बढ़े है ।

3. बिहार वित्त नियमावली में प्रावधान है कि राज्य में पंजीकृत वृहद एवं मध्यम उद्योगों (सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित) द्वारा उत्पादित सामग्रियों को राज्य के बाहर अवस्थित वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में 2 प्रतिशत तक की अधिमानता दी जायेगी । इसी प्रकार राज्य के भीतर अवस्थित पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को राज्य के बाहर अवस्थित लघु /मध्यम/वृहद् उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में 7 प्रतिशत अधिमानता दी जाती है ।

4. राज्य में अवस्थित इकाईयों की मांग रहीं है कि वर्तमान नियमों से उन्हें यथेष्ठ सहायता नहीं मिलती, अतः जिन सामग्रियों का उत्पादन बिहार में अवस्थित इकाईयों द्वारा होता है उनकी सरकारी खरीद राज्य में अवस्थित इकाईयों से ही की जाए । इससे इन इकाईयों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं रोजगार भी बढ़ेगें ।

5. अतः सम्यक विचारोंपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाईयों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131 में वर्तमान प्रावधान के बाद निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जाए :-

"इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार के विभागों एवं अधीनस्थ एजेन्सियों की आवश्यकता एवं राज्य में अवस्थित स्थानीय उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए समय समय पर ऐसी सामग्रियां चिन्हित कर सकेगी जिनका क्रय केवल राज्य के भीतर अवस्थित औद्योगिक इकाईयों से प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्राप्त कर किया जाएगा । चूँकि इसमें सीमित प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें राज्य के बाहर की इकाईयां भाग नहीं ले पायेगी, अतः क्रय के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करने के समय संबंधित विभाग/एजेन्सी सुनिश्चित करेगा कि उक्त दर DGS & D की लागू दर से अधिक न हो । यदि क्रेता विभाग /एजेन्सी आवश्यक समझें तो क्रयादेश को निविदा में भाग लेने वाले औद्योगिक इकाईयों के बीच उनकी उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांट सकेगा यदि ऐसी इकाईयां निविदा की न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हों । ऐसी आपूर्ति के लिए गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।"

6. बिहार वित्त(संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के एकाधिक संगठन को किसी विशिष्ट वर्ग की सामग्री के क्रय हेतु राज्य क्रय संगठन नामित करने का प्रावधान है । नियम-130 के अनुसार राज्य क्रय संगठन द्वारा सामान्य उपयोग मेंआनेवाली ऐसी सामग्रियों के लिए, जिनकी विभिन्न विभागों में आवश्यकता होती है, निबंधित आपूर्तिकर्ताओं से दर संविदा कर सकता है । अतः इस संदर्भ में स्थानीय इकाईयों/ आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नियम 131(ङ) में **131(ङ)(3)** के रूप में निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जायेगा :-

" DGS & D /राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित दरों पर यदि स्थानीय निबंधित इकाईयां/ आपूर्तिकर्ता सामग्री देने को तैयार हो तो क्रय ऐसी इकाईयों/ आपूर्तिकर्ताओं से किया जायेगा ।"

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक --एम-4-19/2007 - 2397 वि0(2) दिनांक -**03.04.2007**

प्रतिलिपि -अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियां वित्त प्रशाखा-4 को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक --एम-4-19/2007 - 2397 वि0(2) दिनांक -**03.04.2007**

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक -एम-4-19/2007 - 2397 वि0(2) दिनांक -**03.04.2007**

प्रतिलिपि - सभी आयुक्त एवं सचिव, सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)